न्यायालय उपखंड़ अधिकारी, राजगढ़ जिला चूरू
बइजलास पंकज गढ़वाल (आर. ए. एस.)

प्रार्थना पत्र सख्या 47 सन् 2018
निर्णय दिनांक – 15-12-2020

1. दिनेश कुमार
2. पुरुषोत्तम

पुत्रगण स्व. सज्जन कुमार जाति महाजन मित्तल निवासीगण वार्ड संख्या 9 कस्बा राजगढ़ तहसील राजगढ़ जिला चूरू

– प्रार्थीगण

बनाम

1. लक्ष्मी देवी पत्नी स्व. सज्जन कुमार
2. ममता पुत्री स्व. सज्जन कुमार
3. सुरेन्द्र कुमार
4. सूर्य प्रकाश
5. मोतीलाल
6. भागीरथ लाल
7. रोहताश

पुत्रगण स्व. नोरंगराम

8. लक्ष्मी देवी
9. निर्मला देवी
10. सिलोचना देवी

पुत्रीगण स्व. नोरंगराम

11. मंजू देवी पत्नी स्व. राजकुमार
12. मनीष
13. मनीषा

पुत्र पुत्री स्व. राजकुमार

जाति महाजन मित्तल निवासीगण वार्ड संख्या 9 कस्बा राजगढ़ तहसील राजगढ़ जिला चूरू

14. श्रीनिवास पुत्र स्व. गूगनराम जाति महाजन मित्तल निवासी ग्राम लम्बोर बड़ी तहसील राजगढ़ जिला चूरू
15. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजगढ़ जिला चूरु

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्त. धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व आदेश 39 नियम 1 ता 3 व धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता

उपस्थिति
विद्धान अधिवक्ता श्री महेश अग्रवाल वास्ते प्रार्थीगण
विद्धान अधिवक्ता श्री दीनदयाल स्वामी वास्ते अप्रार्थी संख्या 14
पैरोकार राज वास्ते अप्रार्थी संख्या 15

निर्णय

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं कि प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र विरुद्ध अप्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व आदेश 39 नियम 1 व 3 व धारा 151 जाब्ता दीवानी का इस न्यायालय में दस्तावेजात व वंशवृक्ष के साथ प्रस्तुत किया कि उक्त उनवान का वाद न्यायालय हाजा में प्रार्थीगण/वादीगण द्वारा प्रस्तुत किया जा चुका है जिसमें प्रार्थीगण को सफलता मिलने की पूर्ण संभावना है। कृषि भूमि खाता संख्या 69 खसरा संख्या 264 तादादी 3.83 हैक्टेयर, खसरा संख्या 323 तादादी 2.53 हैक्टेयर, कुल तादादी 6.36 हैक्टेयर वाके रोही लम्बोर बड़ी तहसील राजगढ़ जिला चूरु व खाता संख्या 70 खसरा 121 तादादी 18.50 हैक्टेयर वाके रोही लम्बोर बड़ी तहसील राजगढ़ जिला चूरु में अवस्थित है जो प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 ता 14 की दादालाई

पैतृक् कृषि भूमि है जो विवादित है। वादगत कृषि भूमि में अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 ने सम्पूर्ण हक हिस्सा 1/8 – 1/8 हिस्सा मौखिक भाई बंटवारा के अनुसार अपने भाईयों प्रार्थीगण दिनेश व पुरुषोत्तम के हक में आज से 6 माह पूर्व हक त्याग कर दिया था जिसके बाद से प्रार्थीगण वादगत भूमि में 1/2 हिस्सा पर काबिज काश्तकार होकर काश्त करते आ रहे हैं जिस कारण उक्तानुसार घोषणा करवाने के अधिकारी हैं। वादगत भूमि का खाता साझा होने के कारण वरवक्त काश्त पक्षकारान में तनाजा रहने लगा है जिस कारण प्रार्थीगण अपनी 1/2 हिस्सा की भूमि को सही रुप से काश्त नहीं कर पाते हैं व उनकी सख्त हक तल्फी हो रही है। अप्रार्थी संख्या 1 ता 2 द्वारा मौखिक उक्त हक त्याग कर दिया गया है लेकिन राजस्व रिकार्ड में उनका नाम चला आ रहा है। अप्रार्थी संख्या 1 ता 14 वादगत भूमि को रहन, बैय या अन्य किसी तरीके से अन्तरित करने पर आमादा हैं जिसकी धमकी भी दिनांक 05.03.2018 को बमुकाम राजगढ़ में दी है व ऐसा करने पर प्रार्थीगण को अपूर्तिय क्षति होगी जिस कारण प्रार्थीगण अप्रार्थीगण के विरुद्ध उक्त आश्य की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी हैं। प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा संतुलन का सिद्धान्त, अपूर्तिय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थीगण के पक्ष में है, आदि आदि व अप्रार्थीगण के विरुद्ध ताफैसला मूल वाद अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने का अनुतोष चाहा।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर अंतरिम स्थगन दिनांक 21.03.2018 को जारी किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया जिस पर अप्रार्थीगण जरिए अधिवक्ता उपस्थित आए व अप्रार्थी संख्या 14 ने जवाब प्रस्तुत किया कि प्रार्थीगण की घोषणा के अनुतोष के बाबत अप्रार्थी संख्या 14 को जानकारी नहीं है लेकिन भूमि के बंटवारा को लेकर पक्षकारान का कोई तनाजा नहीं है व न ही अप्रार्थी संख्या 14 का उक्त भूमि को रहन, बैय, अन्तरण करने का इरादा नहीं है। अप्रार्थी संख्या 14 विधिवत सह खातेदार है, आदि आदि। प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा संतुलन का सिद्धान्त, अपूर्तिय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थीगण के पक्ष में ना होकर अप्रार्थी संख्या 14 के ही हक में है ऐसे में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण सव्यय खारिज किए जाने योग्य है।

बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया व उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत किए गए अभिवचनों, दस्तावेजी साक्ष्य तथा तर्कों को सुनने के पश्चात्त प्रकरण के विचारणीय बिन्दुओं के सम्बंध में मेरा निर्णय निम्न प्रकार है –

प्रथम दृष्ट्या मामला –

प्रकरण में अनुतोष प्राप्ति हेतु प्रथम दृष्ट्या मामला अपने पक्ष में साबित करने का भार प्रार्थीगण पर है। प्रार्थीगण द्वारा वादगत भूमि स्वयं व अप्रार्थीगण के सामूहिक खातेदारी की होना, अप्रार्थी संख्या 1 ता 2 द्वारा अपना सम्पूर्ण हिस्सा प्रार्थीगण के हक में त्याग कर देना बताया गया है व जिसके बाद से प्रार्थीगण वादगत भूमि में 1/2 हिस्सा पर काबिज काश्तकार होकर काश्त करते आ रहे होना बताया है। प्रार्थीगण ने वादगत भूमि का खाता साझा होने के कारण वरवक्त काश्त पक्षकारान में तनाजा रहने लगा होना, जिस कारण प्रार्थीगण अपनी 1/2 हिस्सा की भूमि को सही रुप से काश्त नहीं कर पाते होना, अप्रार्थी संख्या 1 ता 14 वादगत भूमि को रहन, बैय या अन्य किसी तरीके से अन्तरित करने पर आमादा होना, जिसकी धमकी भी दिनांक 05.03.2018 को बमुकाम राजगढ़ में दी होना व ऐसा करने पर प्रार्थीगण को अपूर्तिय क्षति हो रही होना बताते हुए अप्रार्थीगण के विरुद्ध उक्त आश्य की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी होना बताया है।

अप्रार्थी संख्या 14 की ओर से जाहिर किया गया है कि उक्त भूमियां सामूहिक खातेदारी की कृषि भूमियां हैं जिनमें खाता विभाजन में अप्रार्थी संख्या 14 को आपत्ति नहीं है लेकिन अप्रार्थी संख्या 14 द्वारा वादगत कृषि भूमियों के रहन, बैय या अन्य किसी तरीके से अन्तरित करने पर आमादा नहीं है, ऐसे में प्रार्थीगण अब इस आधार पर कोई स्थगन प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

प्रकरण के समस्त हालात व उभय पक्ष के तर्कों को सुनने व पत्रावली के अवलोकन के बा मेरे विनम्र मत में वादगत भूमि का सामूहिक खातेदारी का होना व पक्षकारान का सह खातेदार होन उभय पक्ष का स्वीकृत तथ्य है। कानूनन सह खातेदारी की भूमि में एक सह खातेदार दूसरे स

खातेदार के विरुद्ध किसी प्रकार की निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होता है। प्रार्थीगण द्वारा घोषणा का जो अनुतोष चाहा है उसका कोई खंड़न प्रस्तुत नहीं हुआ है। प्रार्थीगण द्वारा केवल औपचारिक रुप से अप्रार्थीगण का वादगत कृषि भूमियों के रहन, बैय या अन्य किसी तरीके से अन्तरित करने पर आमादा होना दर्ज किया है जबकि कानूनन किसी भी खातेदार को उसके हक हिस्सा की भूमि का हर प्रकार से उपयोग उपभोग लेने का अधिकार प्राप्त है ऐसे में प्रार्थीगण की उक्त आपत्ति इस स्तर पर निषेधाज्ञा प्राप्ति का आधार नहीं बन सकती है व वास्तविक तथा सह खातेदार के विरुद्ध किसी भी प्रकार की निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायोचित्त प्रतीत नहीं होता है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण की खातेदारी की वादगत भूमि में किसी भी प्रकार दखल अथवा कब्जा आदि करने का तथ्य प्रमाणित नहीं हुआ है जिस कारण प्रकरण के समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण हाजा में अस्थाई निषेधाज्ञा की बाबत प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीगण के पक्ष में किसी भी प्रकार नहीं पाया गया है। प्रार्थीगण अपना मामला साबित करने में असफल रहे हैं अतः प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्यों के अवलोकन के पश्चात् मैं प्रार्थीगण के पक्ष में प्रथम दृष्ट्या मामला बनना नहीं पाता हूं जिस कारण उक्त बिन्दु प्रार्थीगण के विपक्ष में व अप्रार्थीगण के पक्ष में तय किया जाता है।

सुविधा का सन्तुलन व अपूर्तिय क्षति –

प्रकरण हाजा में चूंकि प्रार्थीगण प्रथम दृष्ट्या मामला अपने पक्ष में साबित करने में असमर्थ रहे हैं जबकि अप्रार्थीगण के पक्ष में प्रथम दृष्ट्या मामला पूर्णतया साबित पाया गया है तथा वादगत भूमि सह खातेदारी की भूमि है, ऐसे में प्रकरण हाजा में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने से प्रार्थीगण की अपेक्षा अप्रार्थीगण को अधिक क्षति होने व असुविधा होना प्रमाणित है जबकि ऐसा न किए जाने से प्रार्थीगण को कोई हानि न होना इस स्तर पर प्रमाणित पाया गया है व सुविधा संतुलन का सिद्धान्त भी प्रार्थीगण की अपेक्षा अप्रार्थीगण के पक्ष में बनता है जिस कारण प्रार्थीगण के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना विधिसम्मत नहीं पाता हूं, लिहाजा उक्त दोनों बिन्दु भी प्रार्थीगण के विपक्ष में व अप्रार्थीगण के पक्ष में तय किए जाते हैं।

आदेश

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण विरुद्ध अप्रार्थीगण बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है व अप्रार्थीगण के विरुद्ध जारी अन्तरिम स्थगन आदेश दिनांक 21.03.2018 वेकेट (Vacate) किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 15-12-2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
राजगढ़ (चूरू)